


MOST URGENT

अतिआवश्यक



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 51(1)ग्रावि/नरेगा/जीआईएस/108092/2016-17/पार्ट-II जयपुर दिनांक :

11 NOV 2021

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय :- जियो मनरेगा अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की जियो मनरेगा फेस-II अन्तर्गत समस्त कार्यों की जियो टैगिंग बाबत।

प्रसंग :- समसंख्यक पत्र दिनांक 05.07.2021, 21.09.2021 एवं 04.10.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों की जियो टैगिंग कराये जाने हेतु समय-समय पर पत्र जारी किये गये जिसके अनुसार जियो मनरेगा फेस-I के तहत पूर्ण हो चुके समस्त कार्यों की जियो टैगिंग तथा जियो मनरेगा फेस-II अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ योजना के कार्यों की तीन स्तर यथा Before start of the work, During the work and After completion of the work पर जियो टैगिंग कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु आदिनांक की स्थिति के अनुसार फेस-II अन्तर्गत समस्त जिलों में बहुत अधिक संख्या में Assets जियो टैगिंग हेतु लम्बित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फेस-II अन्तर्गत During stage में उपलब्ध कार्यों को पूर्ण कर After stage में जियो टैग किये गये कार्यों की संघन मॉनिटरिंग की जा रही है अर्थात् योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यों को अधिक से अधिक संख्या में पूर्ण कर जियो टैग किये जाने की संघन मॉनिटरिंग की जा रही है।

परिशिष्ट -1 पर संलग्न जिलेवार स्थिति अनुसार During stage में उपलब्ध कार्यों के विरुद्ध After stage में जियो टैग किये गये कार्यों का प्रतिशत बहुत कम है।

अतः 35 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिलों को निर्देशित किया जाता है कि पंचायत समितिवार अपूर्ण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जावे, जिसमें वे कार्य जो अधूरे वो किसी कारण से पूर्ण नहीं हो सकते हों के संबंध में यथानुसार निर्णय लेते हुए पूर्ण करावें तथा समस्त प्रगतिरत कार्यों को अधिक से अधिक संख्या में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि पूर्ण कार्यों की After stage में शत-प्रतिशत जियो टैगिंग संभव हो सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अभिषेक भगतिया)
आयुक्त, इंजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 2 अधिशासी अभियंता (DGNO), महात्मा गांधी नरेगा समस्त राजस्थान।
- 3 कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी (GAS) पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

राज्य जीआईएस नोडल अधिकारी (SGNO)